रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 136] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 29, 1979/चैत्र 8, 1901
No. 136] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 29, 1979/CHAITRA 8, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1979

का. आ. 165 (अ).—दिल्ली परिवहन निगम (सदस्य) नियम, 1973 के नियम 3 और 5 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिल्ली प्रशासन, दिल्ली के परिवहन विभाग के सचिव श्री एम. डब्ल्यू. के. यूसुफजई को दिल्ली परिवहन निगम का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार, नौवहन और

परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की तारीख 1 मई, 1976 की अधिसूचना सं. सा. आ. 938(ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के पैरा (i) में,

मद (xi) और उसके सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाय, अर्थात् :—

"(xi) श्री एम. डब्ल्यू. के. यूसुफजई, सचिव, परिवहन विभाग, दिल्ली प्रशासन ।"

[सं. टीजीडी (50)/76]

बी. बी. महाजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 1979

S.O. 165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Road Transport Corporations Act, 1950 (64 of 1950), read with rules 3 and 5 of the Delhi Transport Corporation (Members) Rules, 1973, the Central Government hereby appoints Shri M. W. K. Yusufzai, Secretary, Transport Department, Delhi Administration as Member of the Delhi Transport Corporation and makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 338(E), dated the 1st May, 1976, namely,

In paragraph 1 of the said notification for item (xi) and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely,

"(xi) Shri M. W. K. Yusufzai, Secretary, Transport Department, Delhi Administration."

[No. TGD(59)/76]

B. B. MAHAJAN, Joint Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979